संख्या-327/2025/75के-2/22-3-2025-17(125)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2025

विषयः- जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र गंगासिंह यादव, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024) दिनांक-07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र गंगासिंह यादव, ग्राम-पूरन नगला, थाना-परौर, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। दिनांक 05-09-2001 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटपाट करने के उद्देश्य से ट्रेन की चैन पुलिंग कर आर0पी0एफ0 के सिपाही रघुनन्दन लाल दुबे एवं ड्यूटी पर नियुक्त सिपाही का0 वीरेन्द्र सिंह यादव की हत्या कर दी।। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-152/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396, 364ए के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), एटा के आदेश दिनांक 30.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-20-09-2022 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष है। उक्त के अतिरिक्त बंदी का (1) एस०टी०नं0-206ए/2002 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड, (2) एस0टी0नं0-351ए/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 149, 307 में 02 वर्ष 11 माह एवं 200/- अर्थदण्ड, (3) एस०टी०नं0-282/2011 में भा0द0वि0 की धारा-332, 353, 224, 225, 307/34 में 10 वर्ष कारावास एवं 30000/- अर्थदण्ड, (4) एस0टी0नं0-155/2012 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड तथा (5) एस०टी०नं0-1283/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 में 10 वर्ष कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में आपराधिक कृत्य करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराधिक कृत्य करने में अशक्त नहीं होने, जेल निरूद्ध रखने से बन्दी को पुनः आपराधिक कृत्य करने से रोका जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र श्री गंगासिंह यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.09.2001 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटपाट करने के उददेश्य से ट्रेन की चैन पुलिंग कर आर०पी०एफ० के सिपाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रघुनन्दन लाल दुबे एवं ड्यूटी पर नियुक्त सिपाही का० वीरेन्द्र सिंह यादव की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र श्री गंगासिंह यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन उर्फ बचनू (बन्दी संख्या-9930/2014) पुत्र श्री गंगासिंह यादव, निवासी- जनपद-शाहजहॉपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या-327/2025/75के-2(1)/22-3-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-327/2025/75के-2/22-3-2025-17(125)/2025

दिनांक 24 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र गंगासिंह यादव, ग्राम-पूरन नगला, थाना-परौर, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। दिनांक 05-09-2001 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटपाट करने के उद्देश्य से ट्रेन की चैन पुलिंग कर आर0पी0एफ0 के सिपाही रघुनन्दन लाल दुबे एवं ड्यूटी पर नियुक्त सिपाही का0 वीरेन्द्र सिंह यादव की हत्या कर दी।। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-152/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396, 364ए के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), एटा के आदेश दिनांक 30.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-20-09-2022 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष है। उक्त के अतिरिक्त बंदी का (1) एस०टी०नं0-206ए/2002 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड, (2) एस0टी0नं0-351ए/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 149, 307 में 02 वर्ष 11 माह एवं 200/- अर्थदण्ड, (3) एस०टी०नं0-282/2011 में भा0द0वि0 की धारा-332, 353, 224, 225, 307/34 में 10 वर्ष कारावास एवं 30000/- अर्थदण्ड, (4) एस0टी0नं0-155/2012 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड तथा (5) एस०टी०नं0-1283/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 में 10 वर्ष कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में आपराधिक कृत्य करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराधिक कृत्य करने में अशक्त नहीं होने, जेल निरूद्ध रखने से बन्दी को पुनः आपराधिक कृत्य करने से रोका जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र श्री गंगासिंह यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.09.2001 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटपाट करने के उददेश्य से ट्रेन की चैन पुलिंग कर आर०पी०एफ० के सिपाही रघुनन्दन लाल दुबे एवं ड्यूटी पर नियुक्त सिपाही का० वीरेन्द्र सिंह यादव की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन उर्फ बचनू पुत्र श्री गंगासिंह यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।